

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(22)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक 9/7/2019

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री महेन्द्र कुमार चौधरी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1058/99) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री किशनप्रताप सिंह राठौड़, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर।
- 9 जिला कलक्टर, जैसलमेर।
- 10 कोषाधिकारी, जैसलमेर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 14 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 15 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16 रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्र)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(22)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 24 व लॉ एण्ड लीगल अफेर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अनुसार विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 जैसलमेर में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री जेठाराम माली, अधिवक्ता, (एनरोलमेन्ट नं० आर/1542/07) को विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

८०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर।
- 9 विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर।
- 10 जिला कलक्टर, जैसलमेर।
- 11 कोषाधिकारी, जैसलमेर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।

९/७
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(22)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक ९/७/२०१९

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार निम्नांकित अभिभाषकों को उनके नाम के सम्मुख पद व स्थान तथा मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है :—

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	एनरोलमेन्ट नं०	पद नाम
1	श्री दीने खान	आर/2983/10	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर
2	श्री फिरोजखान	आर/2890/07	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, पोकरण, जिला जैसलमेर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र०सं०	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री विपिन कुमार व्यास	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर
2	श्री उम्मेद सिंह राठौड़	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, पोकरण, जिला जैसलमेर


आज्ञा से

६०

(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर।
- 9 अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर/ पोकरण, जैसलमेर।
- 10 जिला कलकटर, जैसलमेर।
- 11 कोषाधिकारी, जैसलमेर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।



(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि